

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (अर०१०११०)

प्रकरण संख्या : 23/2022
दायर दिनांक : 12/12/2022
निर्णय दिनांक : 12/08/2024

उनवान

1. राजेन्द्र पिता रूपा सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री प्रकाश गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी में प्रार्थी की संयुक्त शामलाती आराजियात स्थित है, जिसके खाता सं. 1103 से दर्ज आ.सं. 2364 रकबा 0.19 है. कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.19 है. स्थित है, जो मुझ प्रार्थी के संयुक्त मौरूसी मिल्कीयत की होकर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज हो काशत कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा एक में वर्णित आराजी में मुझ प्रार्थी का नाम राजूलाल पुत्र रूपा जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है, मुझ प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी रिकार्ड में राजेन्द्र पिता रूपा सालवी दर्ज है, हाल रेवेन्यू रिकार्ड में मुझ प्रार्थी का नाम राजूलाल पुत्र रूपा जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है, के बजाय राजेन्द्र पिता रूपा सालवी सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। वजह सबूत में आधार कार्ड, अंक तालिका कक्षा 10, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, गैस कनेक्शन की पासबुक, पहचान पत्र, जॉब कार्ड, ग्राम पंचायत का लेटर पेड की फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। दिनांक 26.11.2022 को राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी लेने से नाम गलत इन्द्राज की जानकारी होने से बिनाय प्रार्थना पत्र उक्त दिनांक को पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् को प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. एक में वर्णित आराजी में मुझ प्रार्थी का नाम हाल रेवेन्यू रिकार्ड में राजूलाल पुत्र रूपा जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है जिसका इन्द्राज दुरुस्त कर राजूलाल पुत्र रूपा जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज के बजाय राजेन्द्र पिता रूपा सालवी सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना का आदेश फरमावें।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गए। बाद सम्मन तामिल अप्रार्थी तहसीलदार, भूपालसागर का जवाब पेश हुआ, जो कि शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम राजूलाल पुत्र रूपा जाति बलाई सा. देह के बजाय राजेन्द्र पिता रूपा सालवी सा. देह अंकित करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया। तहसीलदार, भूपालसागर ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम कांकरवा के खाता सं. 1103 में दर्ज आ.सं. 2364 रकबा 0.19 है. भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थी भी खातेदार दर्ज रिकार्ड है, इस राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजूलाल पिता रूपा बलाई दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्री राजूलाल पिता रूपा बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है, जिसके बजाय राजेन्द्र पिता रूपा सालवी सा. देह दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैंकेंडरी स्कूल परीक्षा 1991, मूल निवास, परिवार राशनकार्ड, वोटर आई.डी., जॉबकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पिता रूपा सालवी दर्ज होना पाया गया है, जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम नियमानुसार संशोधित किया जा सकता है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अबलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कांकरवा की खाता सं. 1103 में आ.सं. 2364 रकबा 0.19 है. में प्रार्थी का नाम राजूलाल पिता रूपा जाति बलाई सा. देह के बाजय राजेन्द्र पिता रूपा सालवी सा. देह अंकित किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(पुनीत कुमार गोलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर